न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 50/2011

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1.सांवलाराम पुत्र खेताजी, 2.कृष्णकुमार पुत्र खेताजी, 3.श्रीमति सिणगारी बेवा खेताजी (फौत)जाति तमाम माली, निवासी भीनमाल,तहसील भीनमाल,(एबेट)		1.उका पुत्र धर्माजी, 2.प्रतापा पुत्र धर्माजी 3.गोमतीदेवी पत्नि छगनाराम 4.कालूराम पुत्र कपूरजी, जाति माली,निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल, 5.राजूराम पुत्र धुकाजी, 6.जामताराम पुत्र लखमाजी,जाति पुरोहित,निवासी दांतीवास, तहसील भीनमाल 7.हंजारीसिंह पुत्र धुकसिंह, 8.गजेसिंह पुत्र धुकसिंह जाति पुरोहित,निवासी अरणु,तहसील भीनमाल 9.श्रीमति कानुदेवी पत्नि लाखाराम, जाति पुरोहित, निवासी आसाणा, तहसील सायला हाल भीनमाल 10.छगनाराम पुत्र रूपाराम, 11.पुखराज पुत्र रूपाराम, जाति माली,निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल

अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश तहसीलदार भीनमाल दिनांक 29.3.2005
(क्रमांक :राज./05/335)

1.श्री नीखिल दवे, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2.श्री रमेशकुमार सोलंकी,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1से 4 की ओर से।
3.श्री सतपाल पुरोहित,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.9 की ओर से।
4.रेस्पोडेन्ट सं. 5 से 8 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 19.8.2019

1. यह अपील श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जालोर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है। अपीलांट्स के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं ,अपीलांट्स के पिता खेता, उका,प्रतापा पिसरान् धर्माजी ,जाति माली सगे भाई थे जिनकी पुश्तैनी कृषि भूमि भीनमाल–ए की सरहद में आई हुई है, खसरा नम्बर 2190 रकबा 0.46 हेक्टर,2193 रकबा 0.25 हेक्टर,2195 रकबा 0.65 हेक्टर,2196 रकबा 0.60 हेक्टर,2197 रकबा 0.57 हेक्टर,2191रकबा 0.03 हेक्टर,2192 रकबा 0.06 हेक्टर,कुल रकबा 2.62 हेक्टर स्थित है जो संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की है,अपीलांट्स के पिता खेता की मृत्यु 5–6 वर्ष पूर्व हुई, रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 ने खेता की बिमारी का फायदा उठाकर एक विभाजन पत्र दिनांक 22.3.2005 को तैयार करवाकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत में रेस्पोडेन्ट उका को खसरा नम्बर 2190 में से 0.12 हेक्टर,खसरा नम्बर 2196 में से 0.60 हेक्टर कुल रकबा 0.72हेक्टर, खेता को खसरा नम्बर 2190 में से 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 2195 में से 0.65 हेक्टर, कुल रकबा 0.77 हेक्टर, प्रतापा को 2190 में से 0.12 हेक्टर व खसरा नम्बर 2193 में से 0.24 हेक्टर ,खसरा नम्बर 2197 मेंसे0.57 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 2192 में से 0.57हेक्टर , खसरा नम्बर 2192 मेंसे0.05 हेक्टर ,कुल रकबा 0.98 हेक्टर भूमि दिलवाई गई । खसरा नम्बर 2190 में से 0.10 हेक्टर,खसरा नम्बर 2191 सम्पूर्ण 0.03 हेक्टर , खसरा नम्बर 2192 में से 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 2193 में से 0.01 हेक्टर , कुल रकबा 0.15 हेक्टर भूमि संयुक्त रखी गई। विभाजन पत्र को तहसीलदार को प्रशासन आपके द्वार वर्ष 2004 प्रस्तुत करने पर जैर अपील विभाजित करने का आदेश पारित किया गया,अपीलांट्स के पिता का स्वर्गवास हो चुका है व उनके पिता की सम्पति में अधिकार निहित हो चुका है जिससे अपीलांट्स को उक्त अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। उसके बावजूद भी अपीलांट विभाजन में पक्षकार न होने की वजह से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए धारा 96 का प्रार्थनापत्र पृथक से प्रस्तुत किया है। दस्तावेज के साथ पक्षकारान् द्वारा कोई नक्शा पेश नही किया है, न ही विभाजन पत्र में नक्शें का उल्लेख है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पार्टीसन रूल्स का यह सिद्धान्त हैं कि सभी खातेदारों को अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भूमि दिलवाई जावे,नक्शें की प्रति में पक्षकारान् के हस्ताक्षर नही हैं जबकि विभाजन प्रार्थनापत्र में इसका उल्लेख किया गया है। रेस्पोडेन्ट प्रतापा को 0.98 हेक्टर भूमि स्वतंत्र रूप से व 0.05 हेक्टर भूमि संयुक्त रूप से ,कुल 1.03हेक्टर भूमि दिलाई गई है जबकि अपीलांट के पिता को मात्र 0.77 हेक्टर भूमि स्वतंत्र रूप से व संयुक्त रूप से 0.5 हेक्टर भूमि दिलाई गई है। खसरा नम्बर 2193की भूमि जो मुख्य रास्तों से लगती

हुई है, वह रेस्पोडेन्ट प्रतापा को दिलाई गई है, खसरा नम्बर 2192 की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज है, उसमें से 0.05हेक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट प्रतापा को दिलाई गई जिससे उक्त विभाजन किसी भी प्रकार से उचित व सम्यक नहीं कहा जा सकता, विभाजन पत्र पर दस्तावेज लेखक का नाम उल्लेख नही है, न ही इस पर स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर है जिससे दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नही है। रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 11 पश्चात्वर्ती खरीददार होने से पक्षकार बनाया गया है। सम्पूर्ण आराजी एक ही चक है,मौके पर किसी प्रकार का विभाजन मौजूद नहीं है। अपीलांट्स केपिता की फौतगी पर म्युटेशन स्वीकृत हो चुका है एवं अपीलांट्स ,रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 के साथ संयुक्त रूप से काबिज हुए। दिनांक 5.6.2011को रेस्पोडेन्ट सं. 3से 9 ने वादग्रस्त आराजी में स्वयं को खरीददार बताते हुए कब्जा करने की धमकी दी जिस पर अपीलांट्स ने पटवारी हल्का व तहसील कार्यालय से राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो पता चला कि आदेश जैर अपील के जरिये अपीलांट्स के पिता के नाम मात्र खसरा नम्बर 2190 में 0.12 हेक्टर व खसरा नम्बर 2195 में से 0.65 हेक्टर भूमि अपीलांट के नाम रही है,जिस पर अपीलांट्स ने तहसील कार्यालय में जाकर पूछताछ की व दिनांक 7.6.2011 को नकल हेतु आवेदन किया एवं उसी रोज नकल प्राप्त की ,अपीलांट्स को दिनांक 7.6.2011 से पूर्व विभाजन आदेश का ज्ञान नहीं हुआ था। ज्ञान होने व आदेश की नकल मिलने की तारीख से अपील अन्दर म्याद है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर विभाजन आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ बंटवाडा आदेश कमांक /राजस्व/05/335 दिनांक 29.3.2015 आदि नकले पेश की,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट्स के नाम उनके पिता की फौतगी पर म्युटेशन स्वीकृत हो चुका है एवं अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के साथ संयुक्त रूप से काबिज हुए। दिनांक 5.6.2011 को रेस्पोडेन्ट सं.3 से9 ने जबरन वादग्रस्त आराजी में स्वयं को खरीददार बताते हुए कब्जा करने की धमकी दी जिस पर अपीलांट्स ने पटवारी हल्का व तहसील कार्यालय से राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो पता चला कि आदेश जैर अपील के जरिये अपीलांट्स के पिता के नाम , नाममात्र खसरा नम्बर 2190 में से 0.12 हेक्टर व 2195 में से 0.65 हेक्टर भूमि अपीलांट के नाम रही है, अन्य भूमि में से उनके अधिकार समाप्त कर दिये है, जिस पर अपीलांट्स ने तहसील कार्यालय से जाकर पूछताछ की , दिनांक 7.6.2001 को नकल हेतु आवेदन किया एवं उसी रोज नकल प्राप्त की ,सर्वप्रथम 7.6.2011 को ज्ञान हुआ,ज्ञान होने व नकल मिलने की तारीख से अपील अन्दर म्याद शुमार करावे।

3. रेस्पोडेन्ट सं.1से 4 के वकील ने दिनांक 3.10.2011 को जवाब पेश किया कि अपीलांट के पिता खेताजी की मृत्यु कब हुई व फौतगी म्युटेशन कब भरा गया, इस तथ्य को अपीलांट्स ने छिपाया गया है। वास्तविकता यह हैं कि अपीलांट्स के पिता की मृत्यु दिनांक 8.10.2006 को हुई है तथा अपीलांट्स द्वारा फौतगी का म्युटेशन का प्रार्थनापत्र पटवारी हल्का को दिया गया , जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 30.5.2007को फौतगी का म्युटेशन भरा गया तथा दिनांक 30.5.2011को भू अभिलेख निरीक्षक भीनमाल द्वारा जांच की एवं दिनांक 1.6.2007को तहसीलदार भीनमाल द्वारा स्वीकार किया गया।अपीलांट्स द्वारा अपने नाम खसरा नम्बर 2190/7287 रकबा 0.12हेक्टर व खसरा नम्बर 2195रकबा 0.65 हेक्टर ,कुल 0.77 हेक्टर पर माधव नागरिक सहकारी बैंक लि.शाखा भीनमाल से ऋण लिया तथा खसरा नम्बर 2190,2191,2192/7289, 2193/7290 कुल रकबा 0.15 हेक्टर में अपने नाम की आराजी पर माधव सहकारी बैंक लि. शाखा भीनमाल से ऋण प्राप्त किया , जिस पर म्युटेशन सं. 2355दिनांक 24.10.2007 को रहन राजस्व रैकार्ड में दर्ज किया गया है,अपीलांट्स द्वारा राजस्व रैकार्ड की नकले प्राप्त करना ,ऋण हेतु कागजात तैयार करवाना से साफ जाहिर हैं कि बंटवाडा दिनांक 29.3.2005 की जानकारी शुरू से ही थी ,सारी जानकारी होते हुए भी अपील व प्रार्थनापत्र में उल्लेख न कर तथ्य छिपाये है। अतः अपीलांट्स का धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज करावे।

4. वकील रेस्पोडेन्ट सं.3 द्वारा दिनांक 29.10.16को सूचना दी गई कि अपीलांट सं.3–सणगारी की मृत्यु हो चुकी है। श्रीमति कमला पुत्री खेताजी पत्नि छतराजी ,श्रीमति बबी पुत्री खेताजी पत्नि मसराजी,जाति माली,निवासी भीनमाल , श्रीमति मंजु पुत्री खेताजी पत्नि रमेशजी ,जाति माली निवासी अदापुरा, तहसील रानीवाडा ,श्रीमति गवरी पुत्री खेताजी पत्नि पुखराजजी, जाति माली ,निवासी धानसा तहसील जसवंतपुरा की ओर से दिनांक 5.12.2016को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश22 नियम 3 सपठित धारा151 सी.पी.सी. बाबत् अपीलांट सं.1 व 2 तथा मृतक सणगारी के कायम मुकाम की हैसियत से रैकार्ड पर लेने का आदेश करावे ,उक्त प्रार्थनापत्र बाद सुनवाई के खारिज किया गया।

5. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 ने अपीलांट्स के पिता खेता की बिमारी का फायदा उठाकर एक विभाजन पत्र दिनांक 22.3.2005 को तहसीलदार के समक्ष प्रशासन आपके द्वार 2004 में प्रस्तुत किया जिस पर जैर अपील आदेश पारित किया , अपीलांट्स विभाजन में पक्षकार न होने की वजह से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए धारा 96 का प्रार्थनापत्र पृथक

से प्रस्तुत किया है। नक्शे में पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। रेस्पोडेन्ट प्रतापा को 0.98 हेक्टर भूमि स्वतंत्र रूप से व 0.05हेक्टर भूमि संयुक्त रूप से ,कुल 1.03हेक्टर भूमि दिलाई गई है जबकि अपीलांट्स के पिता को मात्र 0.77 हेक्टर भूमि स्वतंत्र रूप से व संयुक्त रूप से 0.5 हेक्टर भूमि दिलाई गई है। खसरा नम्बर 2193 की भूमि जो मुख्य रास्तो से लगती हुई है ,वह प्रतापा को एवं खसरा नम्बर 2192 की भूमि जो रास्ते के रूप में दर्ज है, उसमें से 0.5 हेक्टर रेस्पोडेन्ट प्रतापा को दिलाई गई हैं, अतःअपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं. 1से 4 के वकील ने बहस में बताया कि धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र को पहले निर्णित करावे। अपीलांट्स के पिता की मृत्यु 8.10.2006 को हुई तथा अपीलांट्स द्वारा फौतगी म्युटेशन का प्रार्थनापत्र पटवारी हल्का को दिया गया , जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 30.5.2007 को फौतगी म्युटेशन भरा गया व 31.5.2007को भू अभिलेख निरीक्षक भीनमाल द्वारा जांच की गई तथा दिनांक 1.6.2007को तहसीलदार भीनमाल द्वारा स्वीकार किया गया। इसके बाद अपीलांट्स सं. 2 व 3 ने खसरा नम्बर 2190/7287 रकबा 0.12,खसरा नम्बर 2195 रकबा0.65 हेक्टर ,कुल 0.77 हेक्टर पर तथा खसरा नम्बर 2190,2191,2192/7289, 2193/7290 कुल रकबा 0.15 हेक्टर में कृष्णकुमार व सिणगारी के नाम की आराजी पर माधव नागरिक सहकारी बैंक लि. शाखा भीनमाल से ऋण प्राप्त किया गया ,जिसका म्युटेशन सं. 2355दिनांक 24.10.2007 को रहन,राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इस प्रकार अपीलांट्स को वर्ष 30.5.07 में जानकारी होने के बाद अपील देरी से पेश की गई है, अतःअपीलांट्स की अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। विभाजन पत्र को अपीलांट्स के पिता खेताजी के जीवनकाल में कभी चुनौति नहीं दी गई है। विभाजन पत्र में खेताजी को 0.77 हेक्टर भूमि दी गई है जिसका लगान 25.41 दर्ज था जो शेष खातेदार–उका,प्रतापा से भू राजस्व ज्यादा है। जहां अपील देरी से पेश हुई हो उसमें धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम की दरख्वास्त का निर्णय पहले किया जाना आवश्यक है। हस्तगत अपील देरी से पेश की गई है। अतःम्याद के बिन्दु पहले निर्धारित किया जाना आवश्यक हैं,रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब जो पैरा सं.3 में अंकित है, के अनुसार तथा नामान्तरकरण सं. 2288 अनुसार अपीलांट्स के पिता खेताजी की मृत्यु दिनांक 8.10.2016 को होने से पटवारी हल्का भीनमाल–ए द्वारा म्युटेशन सं. 2288 खेताजी के वारिसान् (अपीलांट सं. 1से 3) के नाम भरा गया, भू अभिलेख निरीक्षक भीनमाल द्वारा दिनांक 31.5.2007को जांच की गई व तहसीलदार भीनमाल द्वारा दिनांक 1.6.07को स्वीकृत किया गया है। अपीलांट्स ने खसरा नम्बर 2190/7287 रकबा 0.12,खसरा नम्बर

2195 रकबा 0.65 हेक्टर ,कुल 0.77 हेक्टर पर तथा खसरा नम्बर 2190,2191,2192 / 7289, 2193 / 7290 कुल रकबा 0.15 हेक्टर में से अपीलांट सं. 2 –कृष्णकुमार व अपीलांट सं.3–सिणगारी के हिस्से पर माधव नागरिक सहकारी बैंक लि. शाख भीनमाल से ऋण प्राप्त करने पर रहन का नामान्तरकरण सं. 2355दिनांक 24.10.2007 को स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार म्युटेशन सं. 2288 अनुसार अपीलांट्स को बंटवाडा आदेश की जानकारी दिनांक 30.5.2007 को हो चुकी थी तथा रहन का म्युटेशन सं. 2355 अनुसार अपीलांट सं.2 व 3 को बंटवाडा आदेश की जानकारी 24.10.07को हो चुकी थी फिर भी अपीलांट ने अपील 30 दिन में पेश नही कर दिनांक 6.7.2011 को पेश की है जो करीब 4वर्ष बाद पेश की हैं,देरी से अपील प्रस्तुत करने का दिन–प्रतिदिन का कोई कारण नही बताया गया है।अतःअपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः प्रकरण मैरिट पर विवेचन किये जाने की आवश्यकता नही है।

आदेश

अपीलांट्स द्वारा तहसीलदार भीनमाल के बंटवाडा आदेश कमांकःराज. / 05 / 335 दिनांक 29.3.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 19.8.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:49:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: